न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 31/2024 तारीख रजू 14.03.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. हनुमान प्रसाद राव पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राव (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्सः– गणपति मिष्ठान भण्डार, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 & 2(v) 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 08.08.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 16.08.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर फर्म– गणपति मिष्ठान भण्डार, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता एवं प्रोपराईटर बताया एवं अपना नाम हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राव बताया एवं हनुमान प्रसाद को आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण करने हेतु कहा। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) दूकान पर रखे हुये थे। बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) साफ सूखे व खाली ट्रे में खरीदकर उसकी कीमत 560/– रुपये विक्रेता हनुमान प्रसाद को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रितेश मिश्रा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर प्रत्येक बोतल में फार्मलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई [illegible] कोड एवं क्रमांक **H-2972** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये [illegible] विक्रेता [illegible] गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग [illegible] पर अभिहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-2972** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता हनुमान प्रसाद ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति हनुमान प्रसाद को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/986 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3303/एक्ट/2023/3373 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ** बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये तथा प्रकरण में नोटिस का जबाव पेश किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:30:23 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

दुकान से बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त प्रार्थी बेसन के लडडू बनाने में शुद्ध खाद्य वस्तुओं का बाजार से लाकर उपयोग करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केवल प्रार्थी को ही जिम्मेदार बनाया गया है जबकि उक्त बेसन के लडडूओं के निर्माण में खाद्य सामग्री का उपयोग बाजार से किया गया है जिन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3303/एक्ट/2023/3373 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) SubStandard as the extracted fat/oil does not comform to the standards of Vanaspati as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा ना तो जवाब के साथ और ना ही बहस में तत्समय का कोई खरीद बिल पेश किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** बेसन लड्डू (वनस्पति एवं रिफाईण्ड मूंगफली तेल से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.**08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:23 IST
Reason: Self Attested

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर